न्यायालय सहायककलेक्टर (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीनअधिकारी :सुशील कुमार सैनी (RAS)

दावासंख्या 125/2015

1 श्रीमती सरोज पुत्री श्री मुरलीधर पत्नी श्री ओमप्रकाश आयु 48 साल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ हाल आबाद ग्राम नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

वादी

बनाम

1 मुरलीधर पुत्र श्रीनिवास,
2 जुगलकिशोर पुत्र श्रीनिवास,
3 हरीराम पुत्र श्री दुर्गादत्त
4 राज पुत्र श्री दुर्गादत्त
5 मुरारीलाल पुत्र श्री दुर्गादत्त
6 बाला पुत्री श्री दुर्गादत्त

प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

7/1 सरोज देवी पत्नी स्व. श्री अनिल कुमार
7/2 वीर पुत्र स्व. श्री अनिल कुमार
7/3 खुशी पुत्री स्व. श्री अनिल कुमार

प्रतिवादी संख्या संख्या 7/2 एवं 7/3 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्व. श्री अनिल कुमार, प्रतिवादी संख्या 7/1 लगायत 7/3 जाति मीणा निवासीगण ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

8 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड यूनिट नवलगढ़ जरिये [illegible]
9 उप पंजीयक अधिकारी महोदय, नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
10 तहसीलदार महोदय नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:24:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

163

11 एस बी बी जे बैंक शाखा बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ एवं विक्रय पत्र दिनांकित 10.02.2014 को प्रभावहीन, शून्य एवं निरस्त किये जाने नामान्तकरण अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

श्री हेतराम मील, अधिवक्ता वादी

श्री अशोक कुमार जांगिड़, अधिवक्ता प्रतिवादी

–निर्णय–

दिनांकः–21.02.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने ग्राम खिरोड़ की भूमि खसरा नम्बर 551, 552, 553, 556, 1411 को पैतृक अंकित कर इन भूमियों में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा होना कथन कर पैतृक आधार पर वादी का पिता प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से में से 1/6 हिस्से की खातेदारी की उदघोषणा एवं विभाजन का अनुतोष चाहा। वादी ने कथन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:24:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

कि वादी के पिता ने दिनांक 10.02.2014 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र 1/3 संपूर्ण हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 7 के नाम तस्दीक करवा दिया। वादी के पिता को पैतृक भूमि होने के कारण संपूर्ण 1/3 हिस्से को विक्रय करने का अधिकार नहीं था। यह विक्रय नुमाईसी था। इस विक्रय का न तो प्रतिफल दिया गया न ही कब्जे का आधार प्रदान किया गया। विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण संख्या 2047 दिनांक 20.02.2014 तस्दीक होकर खातेदारी में नाम दर्ज हुआ है। यह विक्रय पत्र वादी के अधिकारी के प्रति शुन्य व बेअसर है। अतः इस विक्रय पत्र को वादिया के 1/6 हिस्से तक शुन्य व प्रभावहीन घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

प्रतिवादीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद कथन को अस्वीकार किया एवं कथन किया वादिया का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादिया शादी के पश्चात अपनी ससुराल नरोदड़ा रहती है। विक्रय के उपरांत विवादित भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज होकर प्रतिवादी संख्या 7 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 अपने परिवार का कर्ता खानदान है। उसके द्वारा परिवार के पालन पोषण हेतु स्वयं की खातेदारी की भूमि को विक्रय करने का अधिकार है। खातेदारी व कब्जे के अभाव में वादिया का वाद वादकरण के अभाव में खारिज होने योग्य है। पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। इस संदर्भ में राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः वाद वादी खारिज किया जावें।

वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादग्रस्त भूमि ग्राम खि[illegible] स्थित भूमि खसरा नम्बर 551/1.34, 552/1.16, 553/1.85, 55[illegible]/0.13 किता 5 कुल रकबा 6.74 हैक्टेयर में वादिया को प्रति[illegible] नम्बर 1 के 1/3 हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:24:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) [illegible]

में से 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कया जावे तथा विक्रय पत्र दिनांक 10.02.2014 को वादिया के 1/6 हिस्से तक प्रभावहीन, शून्य निरस्त घोषित किया जावें।

भा.स.वादी

2. आया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि किता 5 कुल रकबा 10.02 हैक्टेयर में से प्रतिवादी नम्बर 1 के 1/3 हिस्से में वादी के 1/6 हिस्से से वादिया को बेदखल करने तथा विक्रय व कच्चा पक्का निर्माण करने से बाज रहे।

भा.स.वादी

3. आया वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा अपने 1/3 हिस्से की घरेलु पालन पोषण व आवश्यकतावश प्रतिवादी नम्बर 7 को विक्रय कर दिया जो काबिज काश्त है वादिया का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा जब तक विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय से खारिज नहीं करवाया जाता है वादिया किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत करने की अधिकारी नहीं है।

भा.स.प्रतिवादीगण

4. आया वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार 1/18 हिस्से के खातेदार स्व. लक्ष्मण की पत्नी को पक्षकार नहीं बनाया इसप्रकार आवश्यक पक्षकार के अभाव में वाद खारिज योग्य है।

भा.स.प्रतिवादीगण

5. अनुतोष

वादी की ओर से वाद के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र, निर्मला पत्नी हनुमान का शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2067 से 2070, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2, विक्रय पत्र 10.02.2014 की प्रति प्रदर्श–3, जमाबंदी संवत 2023 से 2026 प्रदर्श–4 प्रस्तुत किये। प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्यों सरोज पत्नी अनिल, ... पुत्र गंगाराम सुभाष पुत्र मदन के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:24:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

166

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि वादिया के पिता मुरलीधर की पैतृक, हक, हिस्से, अधिकार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 551 रकबा 1.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 552 रकबा 1.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 553 रकबा 1.8500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 556 रकबा 2.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1411 रकबा 0.1300 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 6.7400 हैक्टेयर वाके ग्राम खिरोड़ पटवार हल्का खिरोड़ भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू में अवस्थित रही है, उक्त भूमियों की खातेदारी पूर्व में वादिया के दादा श्रीनिवास के नाम से दर्ज रही है, जिनके स्वर्गवास के उपरान्त मुरलीधर के कर्ताखानदान के रूप में उक्त भूमियों राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी। उक्त भूमियों में हिन्दू उत्तराधिकारीकता के आधार पर वादिया का भी उसके पिता मुरलीधर के 1/3 हक हिस्से में से 1/6 हक हिस्सा निहित है। वादिया का सहदायकी के आधार पर भी हक, हिस्सा निहित रहा है तथा आज भी हक, हिस्सा, कब्जा, कश्त, वादिया का ही चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमियां वादिया की पैतृक भूमियां है, जिनका राजस्व रिकार्ड पूर्व में वादिया के दादा श्रीनिवास के नाम से दर्ज रही है, जिनके स्वर्गवाास के उपरान्त उक्त भूमियां वादिया के पिता मुरलीधर के नाम से दर्ज हो गयी। उक्त भूमियां वादिया के पिता की स्वअर्जित भूमियां नहीं थी, इस कारण उक्त भूमियों के संबंध में वादिया के पिता मुरलीधर को एकाकी हक, अधिकार, आधिपत्य, संबंध, सरोकर कभी हासिल नहीं हुये, जबकि उक्त भूमियां संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती भूमियां है। वादिया के पिता मुरलीधर कर्ताखानदान होने मात्र से मुरलीधर का नाम उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया। उक्त भूमियों पर सदैव वादिया एवं उसके अन्य परिजनों का संयुक्त कब्जा काश्त रहा है। इस कारण वादिया के पिता मुरलीधर को उक्त भूमियों का बैचान करने का कोई हक, अधिकार हासिल नही रहा है। वैसे भी संयुक्त हिन्दू परिवार में कर्ताखानदान केवल मात्र भूमियों का केयर टैकर (रख–रखावकर्ता) होता है, उनका स्वामी नहीं। जिस आधार पर भी मुरलीधर को उक्त भूमियों के बैचान का कोई अधिकार हासिल नही रहा है। उक्त भूमियाँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:24:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

161

वादिया के दादा श्रीनिवास के पैतृक खातेदारी की भूमियां थी, वादिया उक्त श्रीनिवास के हक, हिस्से की भूमियों के अंशदायी हिस्सेदार थी, जिसके अनुसार वह अपने जन्म से काबिज होकर भूमि का उपयोग–उपभोग करती रही है। जिसके बाबत वादिया के दादा श्रीनिवास के द्वारा भी किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति, एतराज आदि नहीं किया गया तथा श्रीनिवास का स्वर्गवास होने के उपरान्त भी वादिया अपने 1/6 हक, हिस्से में आयी भूमियों पर काबिज होकर उनका उपयोग–उपभोग करती रही है। जिस 1/6 हक, हिस्से की भूमियों का राजस्व रिकार्ड कर्ताखानदान के कारण वादिया के पिता मुरलीधर के नाम से दर्ज हुआ। जिसकी जानकारी प्रतवादी संख्या 07 को होने पर प्रतिवादी संख्या 07 के द्वारा इनका अनुचित फायदा उठाकर वादिया के हक, हिस्से की भूमियों को शामिल करते हुये मुरलीधर के नाम से दर्ज संपूर्ण भूमियों का विक्रय अपने हक में निष्पादित करवाकर पंजीबद्ध करवा लिया, जबकि मुरलीधन को उसके नाम से दर्ज संपूर्ण भूमियों के बैचान करने का कोई अधिकार हासिल नहीं था। उपरोक्त वर्णित भूमियों में से 1/3 हक, हिस्से की भूमियों का राजस्व रिकार्ड वादिया के पिता मुरलीधर के नाम से दर्ज रहा है, जबकि उक्त भूमियों में से 1/6 हक, हिस्से की भूमियों पर ही वादिया के पिता का कब्जा, काश्त रहा है। जिस हक, हिस्से से अधिक भूमि का बैचान करने का कोई अधिकार मुरलीधर को हासिल नहीं था। जिसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 07 के द्वारा मुरलीधर को अपने अनुचित प्रभाव में लेकर उक्त नुमाईशी विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीबद्ध करवाया है, जो विक्रय पत्र वादिया के हक, हिस्से तक प्रभावहीन, शुन्य उद्घोषित कर निरस्त किये जाने योग्य है। वादिया के द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी प्रदर्श–1, नजरी नक्शा प्रदर्श–2, चुनौतीग्रस्त विक्रय पत्र प्रदर्श–3, संवत 2023 से 2026 की जमाबन्द प्रदर्श–4 प्रदर्शित करवायी है, उक्त दस्तावेजो से भी उक्त भूमियां संयुक्त हिन्दू परिवार की होने एवं उक्त भूमियों में वादिया का 1/6 हक, हिस्सा होना पूर्णतया साबित है। इसके अलावा वादिया के द्वारा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू.–1 स्वयं वादिया एवं पी.डब्ल्यू.–2 निर्मला देवी के बयान लेखबद्ध करवाये गये है, जिनकी साक्ष्य अखण्डनीय रही है। उक्त बयानों

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 18:24:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रैक) ...

के माध्यम से भी वादिया के द्वारा उक्त भूमियां संयुक्त हिन्दू परिवार की होने एवं उक्त भूमियों में वादिया का 1/6 हक, हिस्सा होना तथा वादिया के हक, हिस्से की भूमियों पर वादिया का ही कब्जा, काश्त होना पूर्णतया प्रमाणित किया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2023(2) पेज 850, आरआरटी 2016(1) पेज 29, आरएलडब्ल्यू 2008(1) आरजे पेज 543, आरएलडब्ल्यू 2007(2) आरजे पेज 1217 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर वादिया का वाद स्वीकार कया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमियों के बाबत निष्पादित व पंजीबद्ध नुमाईशी विक्रय पत्र दिनांक 10.02.2014 एवं तदोपरान्त उक्त नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करवाये गये नामान्तकरण संख्या 2047 को वादिया के हक, अधिकारों की हद तक प्रभावहीन, शुन्य व निरस्त घोषित किया जाकर वादग्रस्त भूमियों का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर वादिया को उसके हक, हिस्से की भूमि को पृथक किया जाकर वादिया के हक, हिस्से में प्राप्त भूमियों का पृथक राजस्व रिकार्ड कायम करवाया जाकर पृथक से तारबन्दी कायम करवायी जाना प्रार्थनीय है।

प्रतिवादीगण की ओर लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वाके ग्राम खिरोड़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 551, 552, 553, 556, 1411 रकबा क्रमशः 1.34, 1.16, 1.81, 2.26, 0.13 कुल किता 5 कुल रकबा 6.74 हैक्टेयर स्थित है जिसमें वादिया के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का 1/18 हिस्सा है। जबकि कानूनन वादिया जब उपरोक्त वर्णित भूमि में 1/3–1/3 हिस्सा का उल्लेख कर रही है वहां प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 का हिस्सा 1/18 के पश्चात शेष 5/18 हिस्सा किसका है इसका कोई उल्लेख वाद–पत्र में नहीं किया है क्योंकि वादिया वाद में भूमि को पैत्रिक व शामलाती मानती है ऐसी स्थिति में संपूर्ण भूमि व उसके संपूर्ण खातेदारों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जो वादिया ने नहीं किया है। इसी प्रकार वादिया द्वारा स्व. भूराराम की वंशावली का उल्लेख किया है जिसमें वादिया स्व. भूराराम के पुत्र लक्ष्मण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:24:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

169

फौत होना अंकित किया है जबकि वो विवाहित था व उसकी पत्नी मीरा है जो जीवित है उसको वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। जो आवश्यक पक्षकार थी इसलिये वाद मे मिस जॉईन्डर ऑफ पार्टीज का दोष होने से दावा पूर्ण रूप से खारिज होने योग्य है। वादिया अपने वाद–पत्र में वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 को कर्ताखानदान बताया है और कर्ताखानदान वादिया की स्वीकृति है कानूनन कर्ताखानदान को अपने परिवार की आवश्यकता अनुसार व परिवार की भलाई के लिये विक्रय कर सकता है, रहन रख सकता है परिवार के ऋण को चुकता करने के लिए बैच सकता है जिसके लिये विक्रय–पत्र दिनांक 10.02. 2014 के पैरा नम्बर 3 पर प्रतिवादी संख्या 1 ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि विक्रेता को अपनी जायज पारिवारिक आवश्यकता हेतु धनराशि की आवश्यकता है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से को विक्रय किया है जहां तक पारिवारिक आवश्यकता कि बात है प्रतिवादी संख्या 1 वृद्ध हो चुका है जिसके कोई पुत्र संतान नहीं है एक पुत्री है। जिसको वर्षो पूर्व शादी कर ससूराल भेज दिया है जो ग्राम नरोदड़ा में अपने पति के साथ निवास करती है अब प्रतिवादी संख्या 1 के पास न तो कमाई का कोई जरिया है दोनों पति–पत्नी बिमार रहते है जिसमें पत्नी काफी बिमार होने से उसके ईलाज व स्वयं के ईलाज के लिये व पति–पत्नी के भरण पोषण हेतु धनराशि की आवश्यकता रही है वादिया ने ना तो अपने सम्पूर्ण वाद–पत्र में यह कहीं अंकित किया है कि मैंने अपने माता–पिता का भरण पोषण किस प्रकार से करती रही हूं कोई दस्तावेज वाद–पत्र के साथ संलग्न नहीं किया है जिससे यह भी प्रमाणित हो कि वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 का भरण पोषण किया हो। साक्ष्य से यहीं कहीं प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 शराब, भांग, गांजा इत्यादि को सेवन करता हो। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भूमि को विक्रय करने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 7 उक्त [illegible] 1/3 हिस्से के चारों तरफ तारबन्दी कर सड़क कर पुख्ता लोहे [illegible] है अपनी खरीदशुदा भूमि में एक टीन का मकान कर [illegible] प्लेट [illegible] है जिससे लाईट की व्यवस्था होती है एक लाईट मुख्य [illegible] लगा रखी है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:24:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

ट्यूबवेल बना रखा है जिससे अपनी भूमि की सिंचाई करता है और अपनी परिवार का पालन पोषण कर रहा है। वादिया ने वाद पत्र में यह वर्णित कर कि विक्रय–पत्र फर्जी व नुमाईशी होना बताया है और यही मानकर वाद की पत्र की सहायता संख्या 11 की उपधारा 'ख' में विक्रय–पत्र को वादिया के हक अधिकार को वादिया के हिस्से 1/6 तक प्रभावहीन, शून्य व निरस्त घोषित करवाने का किया है। प्रथम तो वादिया ने अपना हक हिस्सा 1/6 माना है ऐसी स्थिति में कानूनन न्यायालय श्रीमान द्वारा वाद–पत्र में वर्णित विक्रय–पत्र दिनांक 10.02.2014 केवल मात्र 1/6 हिस्से तक ही सुनवाई कर विचार कर सकता है शेष 1/6 हिस्से जो अनिल के खातेदारी में दर्ज है उस बाबत कोई सुनवाई नहीं कर सकता है क्योंकि वादिया ने केवल मात्र अपना 1/6 हिस्सा ही क्लेम किया है ऐसी स्थिति में संपूर्ण विक्रय–पत्र को शून्य व निरस्त व प्रभावहीन घोषित नहीं किया जा सकता है। दुसरा उक्त विक्रय–पत्र दिनांक 10.02.2014 को निरस्त करवाने के लिये वादिया ने एक दावा उनवानी सरोज देवी बनाम मुरलीधर वगै. न्यायालय श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, नवलगढ़ के यहां प्रस्तुत किया था उक्त वाद में वादिया ने जो सहायता श्रीमान न्यायालय के समक्ष चाही है वही सहायता सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर चाही गई है प्रतिवादीगण द्वारा अपनी जवाबदेही पेशकर एक प्रार्थना–पत्र अ.धारा 10 सीपीसी का पेशकर उक्त वाद की कार्यवाही स्टोप करने का निवेदन किया, जिस पर न्यायालय ने बाद सुनवाई उक्त वाद की अग्रीम कार्यवाही को स्टोप कर दिया जो आज दिन तक वाद की कार्यवाही स्टोप में चला आ रहा है। वादिया ने उक्त वाद के बाबत एक शब्द तक अपने वाद–पत्र में, अपने चीफ के शपथ–पत्र में व लिखित बहस में उल्लेख नहीं किया है क्योंकि वादिया को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि उक्त विक्रय पत्र दिनांक 10.02.2014 को प्रभावहीन, शून्य व निरस्त करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है इस न्यायालय को ऐसा क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिये उक्त वाद व सिविल न्यायालय की कार्यवाही की बाबत कोई उल्लेख नहीं किया है जब श्रीमान न्यायालय को विक्रय–पत्र को निरस्त, शून्य व प्रभावहीन करने का क्षेत्राधिकार ही प्राप्त नहीं है ऐसी स्थिति में वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:24:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (कोर्ट-केस) नवलगढ़

171

न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने से खारिज होने योग्य है। वैसे भी वादिया से सिविल कोर्ट से उक्त विक्रय–पत्र को निरस्त करने के लिये वाद–पत्र प्रस्तुत कर रखा है जब तक रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही कर दिया जाता है जब तक श्रीमान न्यायालय के समक्ष खातेदारी अधिकार की किसी भी प्रकार की घोषणा किया जाना संभव नहीं है। वादिया ने विक्रय–पत्र दिनांक 10.02.2014 को फर्जी, नुमाईशी, शुन्य व निरस्त करने का अधिकार श्रीमान न्यायालय को माना और इसी को सक्षम सिविल न्यायालय में वाद कर चुनौती दी है इससे यह स्पष्ट है कि श्रीमान न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है सिविल न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार है वादिया जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से विधि अनुसार विक्रय–पत्र को फर्जी, नुमाईशी, शून्य व निरस्त घोषित नहीं करवा लेती है तब तक श्रीमान न्यायालय के समक्ष यह वाद सुनवाई योग्य नहीं है। दावा खारिज फरमाया जावें। वादिया ने अपनी लिखित बहस में जो उज्र उठाये गये है वो तमाम आधार ना तो वाद–पत्र की विषयवस्तु व साक्ष्य से प्रमाणित होती है और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे मुरलीधर शराबी, गांजा, पिने वाला व्यक्ति हो, जिसने यादाश्त कमजोर होने की वजह से यह गलत विक्रय–पत्र करवाया हो, वहां तक वादिया ने अपनी लिखित बहस के साथ प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2023(2) पेज नम्बर 850 का उल्लेख किया है उक्त वाद की विषयवस्तु मौजुदा वाद की विषयवस्तु से भिन्न होने के कारण इस वाद पर चस्पा नहीं होती है इसी प्रकार आरआरटी 2016(1) पेज नम्बर 29 में पुत्रियों का हक हिस्सा बाबत उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में संसोधन बाबत उल्लेख है कि उक्त संसोधन का प्रभाव भूतलक्षी है या लंबित कार्यवाहियों पर लागू होगा, मौजूदा प्रकरण में इस तरीके का कोई विवाद अपेक्षित नहीं है इसलिये उक्त नजीर भी मौजूदा वाद पर चस्पा नहीं होती है तथा आरएलडब्ल्यू 2008(1) आरजे [illegible] आरएलडब्ल्यू 2007(2) आरजे पेज 1217 में पिता की [illegible] में [illegible] व दत्तक पुत्रों का कितना–कितना हिस्सा होगा [illegible] है उक्त [illegible] नजीरों में परिवार की [illegible], रहन रखने आदि बाबत आवश्यकता अनुसार कर्ताखानदान को भूमि [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:24:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

172

कोई तथ्य को वर्णित नहीं किया गया है इसलिये मौजूदा वाद के तथ्य व प्रस्तुत नजीर के तथ्यों में भिन्नता होने से मौजूदा वाद पत्र उक्त नजीरे चस्पा नहीं होती है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2006(2) पेज 1085, आरआरटी 2011(2) पेज 765, एआईआर 2016 एससी, एआईआर 1971 एससी के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के अनुसार तनकी वार विवेचन निम्न प्रकार है।

तनकी संख्या 1:— आया वादग्रस्त भूमि ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 551/1.34, 552/1.16, 553/1.85, 556/2.26, 1411/0.13 किता 5 कुल रकबा 6.74 हैक्टेयर में वादिया को प्रतिवादी नम्बर 1 के 1/3 हिस्से में से 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कया जावे तथा विक्रय पत्र दिनांक 10.02.2014 को वादिया के 1/6 हिस्से तक प्रभावहीन, शून्य निरस्त घोषित किया जावें।

भा.स.वादी

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया ने अपने वाद–पत्र में वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 को कर्ताखानदान बताया है और कर्ताखानदान होना वादिया की स्वीकृति है कानूनन कर्ताखानदान को अपने परिवार की आवश्यकता अनुसार व परिवार की भलाई के लिये विक्रय कर सकता है, रहन रख सकता है परिवार के ऋण को चुकता करने के लिए बेचान कर सकता है जिसके लिये विक्रय–पत्र दिनांक 10.02.2014 के पैरा नम्बर 3 पर प्रतिवादी संख्या 1 ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि [illegible] को अपनी जायज पारिवारिक आवश्यकता हेतु धनराशि की आवश्यकता है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से को विक्रय किया है। जहां तक पारिवारिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:24:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

आवश्यकता कि बात है प्रतिवादी संख्या 1 वृद्ध हो चुका है जिसके कोई पुत्र संतान नहीं है एक पुत्री है। जिसको वर्षो पूर्व शादी कर ससूराल भेज दिया है जो ग्राम नरोदड़ा में अपने पति के साथ निवास करती है अब प्रतिवादी संख्या 1 के पास न तो कमाई का कोई जरिया है दोनों पति–पत्नी बिमार रहते है जिसमें पत्नी काफी बिमार होने से उसके ईलाज व स्वयं के ईलाज के लिये व पति–पत्नी के भरण पोषण हेतु धनराशि की आवश्यकता रही है वादिया ने ना तो अपने सम्पूर्ण वाद–पत्र में यह कहीं अंकित किया है कि उसने अपने माता–पिता का भरण पोषण किस प्रकार से किया है इस संदर्भ में कोई दस्तावेज वाद–पत्र के साथ संलग्न नहीं किया है जिससे यह भी प्रमाणित हो कि वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 का भरण पोषण किया हो। साक्ष्य से यहीं कहीं प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 शराब, भांग, गांजा इत्यादि को सेवन करता हो। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भूमि को विक्रय करने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 7 उक्त विक्रयशुदा भूमि पर बाकायदा 1/3 हिस्से के चारों तरफ तारबन्दी कर सड़क कर पुख्ता लोहे का गेट रखा है अपनी खरीदशुदा भूमि में एक टीन का मकान कर सोलर प्लेट लगा रखी है जिससे लाईट की व्यवस्था होती है एक लाईट मुख्य गेट के पोल पर भी लगा रखी है और ट्यूबवेल बना रखा है जिससे अपनी भूमि की सिंचाई करता है और अपनी परिवार का पालन पोषण कर रहा है। वादिया ने वाद पत्र में यह वर्णित कर कि विक्रय–पत्र फर्जी व नुमाईशी होना बताया है और यही मानकर वाद की पत्र की सहायता संख्या 11 की उपधारा 'ख' में विक्रय–पत्र को वादिया के हक अधिकार को वादिया के हिस्से 1/6 तक प्रभावहीन, शून्य व निरस्त घोषित करवाने का किया है। प्रथम तो वादिया ने अपना हक हिस्सा 1/6 माना है ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा वाद–पत्र में वर्णित विक्रय–पत्र दिनांक 10.02.2014 केवल मात्र 1/6 हिस्से तक ही सुनवाई कर विचार कर सकता है शेष 1/6 हिस्से [illegible] के खातेदारी में दर्ज है उस बाबत कोई सुनवाई नहीं कर सकता है क्योंकि वादिया ने केवल मात्र अपना 1/6 हिस्सा ही क्लेम किया है ऐसी स्थिति में संपूर्ण विक्रय–पत्र को शून्य व निरस्त व प्रभावहीन घोषित नहीं किया जा सकता है। दुसरा उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:24:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

विक्रय–पत्र दिनांक 10.02.2014 को निरस्त करवाने के लिये वादिया ने एक दावा उनवानी सरोज देवी बनाम मुरलीधर वगै. न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, नवलगढ़ के यहां प्रस्तुत किया था उक्त वाद में वादिया ने जो सहायता न्यायालय के समक्ष चाही है वही सहायता सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर चाही गई है प्रतिवादीगण द्वारा अपनी जवाबदेही पेशकर एक प्रार्थना–पत्र अ.धारा 10 सीपीसी का पेशकर उक्त वाद की कार्यवाही स्टोप करने का निवेदन किया, जिस पर न्यायालय ने बाद सुनवाई उक्त वाद की अग्रीम कार्यवाही को स्टोप कर दिया जो आज दिन तक वाद की कार्यवाही स्टोप में चला आ रहा है। पंजीकृत विक्रय पत्र सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त होने से पूर्व वादी राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। फलतः तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2:– आया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि किता 5 कुल रकबा 10.02 हैक्टेयर में से प्रतिवादी नम्बर 1 के 1/3 हिस्से में वादी के 1/6 हिस्से से वादिया को बेदखल करने तथा विक्रय व कच्चा पक्का निर्माण करने से बाज रहे।

भा.स.वादी

विवादित भूमि पर वादी के कब्जे काश्त का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। कब्जे के अभाव में वादी स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना जा सकता है। अतः तनकी संख्या 2 वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– आया वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा अपने 1/3 हिस्से की घरेलु पालन पोषण व आवश्यकता वश प्रतिवादी नम्बर 7 को विक्रय कर दिया जो काबिज काश्त है वादिया का को[illegible] एक हिस्सा नहीं है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:24:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

175

जब तक विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय से खारिज नहीं करवाया जाता है वादिया किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत करने की अधिकारी नहीं है।

भा.स.प्रतिवादीगण

इस संदर्भ में विस्तृत विवेचन तनकी संख्या 1 में किया जा चुका है। सक्षम सिविल न्यायालय से पंजीकृत विक्रय पत्र निरस्त करवाये बिना वादिया राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 :—आया वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार 1/18 हिस्से के खातेदार स्व. लक्ष्मण की पत्नी को पक्षकार नहीं बनाया इस प्रकार आवश्यक पक्षकार के अभाव में वाद खारिज योग्य है।

भा.स.प्रतिवादीगण

यह स्वीकृत तथ्य है किवादिया द्वारा सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है। ऐसी स्थिति में वाद वादी आवश्यक पक्षकार के अभाव में चलने योग्य नहीं है। यह तनकी भी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। उभय पक्ष खर्चा अपना अपना वहन करेंगें। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक

(सुशील कुमार सैनी)

सहायककलेक्टर (फास्ट ट्रेक)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:24:04 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत बंटवारा, उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ एवं विक्रय पत्र दिनांकित 10.02.2014 को प्रभावहीन, शुन्य एवं निरस्त किये जाने नामान्तकरण अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

मुकदमा सं0:– 125/2015 (सरोज देवी बनाम मुरलीधर आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 21.02.2025 निर्णय अनुसार वाद वादीया खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.02.2025 को जारी की।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:24:04 IST
Reason: SelfAttested